न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 16/2026(GCMS : 2026/28)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर–302019 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है तथा **पंजीकृत कार्यालय** 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई–60002 तमिलनाडू Mobile : 95299-28841, Email Id : Jitendra.singh@equitsbank.com

बनाम

1. **इमरान** पुत्र श्री साबुदीन उम्र लगभग 34 वर्ष जाति मुस्लिम, पता 1283, 8 एलएएफ लालगढ जाटान, गंगानगर राजस्थान–335037 मोबाईल नम्बर 95219–48786
2. **ईदा बानो** श्री इमरान उम्र लगभग 30 वर्ष जाति मुस्लिम, पता 1283, 8 एलएएफ लालगढ जाटान, गंगानगर राजस्थान–335037 मोबाईल नम्बर 95219–48786
3. **साबुदीन** पुत्र श्री चांद मोहम्मद उम्र लगभग 56 वर्ष जाति मुस्लिम, पता 1283, 8 एलएएफ़ लालगढ जाटान, गंगानगर, राजस्थान–335037 मोबाईल नम्बर 97845–71830

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.03.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण इमरान, ईदा बानो एवं साबुदीन को ऋण सुविधा के रूप में 9.60/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 29.10.2025 को 8,64,589/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी साबुदीन द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट संख्या 12, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान, तहसील सादुलहशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान में स्थित है** जिसका कुल क्षेत्रफल [illegible] वर्गफुट है। **जिसके पूर्व में बलराम शर्मा है, पश्चिम में रोड़ है,** उत्तर में [illegible]ला देवी है व **दक्षिण में बलदेव सिंह है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी [illegible] पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:44 IST
Reason: SelfAttested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण इमरान,** ईदा बानो **एवं** साबुदीन को ऋण सुविधा के रूप में 09.60/– लाख रूपये (अखरे रूपये नौ लाख साठ हजार मात्र) **की स्वीकृति दिनांक 13.09.2021 को प्रदान की गई थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी साबुदीन ने अपनी अचल **सम्पत्ति प्लॉट संख्या 12, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान, तहसील सादुलहशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1136 वर्गफुट है। जिसके पूर्व में बलराम शर्मा है, पश्चिम में रोड़ है, उत्तर में विमला देवी है व दक्षिण में बलदेव सिंह है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 09.09.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हुई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी साबुदीन की अचल सम्पत्ति प्लॉट संख्या 12, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान, तहसील सादुलहशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1136 वर्गफुट है। जिसके पूर्व में बलराम शर्मा है, पश्चिम में रोड़ है, उत्तर में विमला देवी है व दक्षिण में बलदेव सिंह है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:44 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के नोटिस 30.10.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 30.10.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को**

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

रजिस्टर्ड डाक से **दिनांक 31.10.2025** को भिजवाये गये थे, **जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी साबुदीन द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी साबुदीन द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट संख्या 12, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान, तहसील सादुलहशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1136 वर्गफुट है। जिसके पूर्व में बलराम शर्मा है, पश्चिम में रोड़ है, उत्तर में विमला देवी है व दक्षिण में बलदेव सिंह है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपंलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद नियम तक़मील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा विश्राम जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:44 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर